दिल्ली में सामूहिक आवास समितियां

898. **डा० अबरार अहमद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत सामूहिक आवास समितियों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनकी नवीनतम वरीयता संख्या क्या है ;

(ख) इन समितियों के पंजीकरण की तिथि क्या है और उन्हें अभी तक भूमि उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की आशा है ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इन समितियों को जान-बूझकर भूमि आवंटित नहीं कर रहे हैं; यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ङ) भूमि के लिए ली जा रही वर्तमान दर कितनी है और इन समितियों के पंजीकरण के समय दर कितनी थी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटन का प्रश्न न्यायाधीन है ।

(ङ) भूमि आवंटन के लिए वसूल की जाने वाली दर समय-समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिसूचित मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बिहार को सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

900. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री 19 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 416 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोनार और तिलैया परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक उन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) सिंचाई के लिए दामोदर घाटी निगम से कितना-कितना पानी किन-किन राज्यों को दिया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार की दामोदर नदी की सहायक कोनार नदी पर कोनार व्यपवर्तन परियोजना तथा बारकर नदी पर तिलैया बांधार परियोजना पर क्रमशः मार्च, 1984 और मार्च, 1983 में सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने के कारण उनपर विचार अस्थगित करना पड़ा। दो राज्यों के बीच हुए वर्ष 1978 के समझौते के अनुसार, क्रमशः कोनार और तिलैया पर भण्डारण स्थान निर्मुक्त करने के बदले दामोदर नदी पर पंचेट और तेनुघाट जलाशयों तथा बारकार नदी पर मैथुन जलाशय में अतिरिक्त भण्डारण सृजित किए जाने की आवश्यकता है। पंचेट जलाशय में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने में प्राइम कुकिंग कोयले की जलमग्नता शामिल है और कोयला विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन दो परियोजनाओं को अलग से स्वीकृति नहीं दी है इसलिए अन्तर्राज्यीय मतभेद विद्यमान हैं।

(ख) प्रत्येक वर्ष जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी जलाशय नियमन समिति द्वारा दिए गए

निदेशों तथा नियमन मैनुअल के प्रावधानों के आधार पर दामोदर घाटी निगम द्वारा मैथुन तथा पंचेट जलाशयों से पश्चिम बंगाल को सिंचाई हेतु जल निर्मुक्त किया जाता है।

901. [*Transferred to the 9th December*, 1991]

Flood havoc in Karnataka

902. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the Memorandum submitted by the Government of Karnataka in respect of the flood havoc in the State and if so, Government's response thereto; and

(b) whether Government have received request from Government of Karnataka for the Central assistance and if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) The Government of Karnataka have sent a report in the Ministry of Agriculture indicating preliminary assessment of damages caused on account of heavy rainfall. The Government of Karnataka have requested release of Rs. 100 crores for relief works. On the recommendations of the IX Finance Commission, from 1-4-1990, a Calamity Relief Fund for financing the relief expenditure has been constituted for each State. 75 per cent of the allocation in respect of each State is contributed by Central Government and the balance by the State Government. The annual amount allocated in the Calamity Relief Fund for Karnataka is Rs. 27 crores.

राजस्थान के लिये लंबित जल संसाधन परियोजनाएं

903. **डा० अबरार अहमद :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के लिए कितनी जल संसाधन परियोजनाएं कब कब से स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं ;

(ख) उनको स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की पिपलेट योजना के कार्य में हुई प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(घ) राजस्थान में इस समय ऐसी कौन-कौन सी जल संसाधन परियोजनायें हैं जो अभी तक अधूरी हैं और अब तक उनको पूरा न होने के क्या कारण हैं तथा उनकी प्रारम्भिक लागत क्या थी तथा वर्तमान लागत क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्र में मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई राजस्थान की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र-I में दिया गया है [**देखिये** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 20]

(ग) केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई पिपलेट मध्यम लिफ्ट सिंचाई स्कीम की रिपोर्ट, जांच के पश्चात् राज्य सरकार को 3/89 में इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दी गई थी कि वह जल उपलब्धता, फसलों के लिए जल की आवश्यकता और लागत प्राक्कलनों का टिप्पणियों पर अनुपालना सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(घ) राजस्थान में चालू वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना का ब्यौरा अनुपत्र-II में दिया गया है।

[**देखिये** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 21]

Breaching of Bhakra Dam by Militants

904. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the militants breached the Bhakra Main Canal